

नारियल विकास बोर्ड के साथ नारियल उत्पादक समिति (सीपीएस) के पंजीकरण के नवीकरण हेतु आवेदन पत्र

1. सीपीएस का नाम एवं पता (पिनकोड सहित) :

2. चैरिटेबल सोसाइटी पंजीकरण के नवीकरण की तारीख:

3. नए पदाधिकारियों का नाम एवं पता

क) अध्यक्ष:

दूरभाष एवं ई-मेल:

ख) उपाध्यक्ष:

दूरभाष एवं ई-मेल:

4. सीपीएस का परिचाल क्षेत्र:

वार्ड सं.

पंचायत/नगर पालिका/निगम

5. कृषि भवन का नाम जिसके अधीन सीपीएस आता है

6. सदस्यों की संख्या:

7. पंजीकरण के समय ब्यौरे

क) नारियल के अधीन क्षेत्र एकड़/हे.

ख) ताड़ों की संख्या

फलदाई

गैर फलदाई

8. पंजीकरण के नवीकरण के समय ब्यौरे

क) नारियल के अधीन क्षेत्र एकड़/हे.

ख) ताड़ों की संख्या

फलदाई

गैर फलदाई

9. नारियल का वार्षिक औसत उत्पादन:

शपथपत्र

मैं एतद्वारा बयान देता/ती हूँ कि आवेदन पत्र में दी गई सूचनाएं मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही हैं और आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों में कोई तथ्यात्मक त्रुटि नहीं है। मैं एतद्वारा वचन भी देता/ती हूँ कि मैं सीपीएस के सुचारू संचालन के लिए समय समय पर नारियल विकास बोर्ड द्वारा जारी निदेशों का पालन करूँगा/गी।

स्थान:

दिनांक:

अध्यक्ष (हस्ताक्षर)

संलग्न: (1) जिला रजिस्ट्रार के कार्यालय से पंजीकरण नवीकरण का प्रमाण (2) नाविबो द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रतिलिपि (3) संबंधित राज्य के प्रभारी अधिकारी के नाम पर हरित 100 रुपए का डीडी (4) पिछले दो वर्षों के दौरान सीपीएस द्वारा की गई गतिविधियों का ब्यौरा।